झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 39 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED

अपीलकर्त्ता श्रीमती ललीता देवी
ग्राम-लंका, पंचायत- रांकीकला
प्रखण्ड- मनिका, जिला- लातेहार

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लातेहार

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023		

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, लातेहार
वाद सं0–39/2023

आज दिनांक–27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक–07 पर अंकित शिकायतकर्ता श्रीमती ललिता देवी, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार के परिवाद पत्र का उल्लेख है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि जब से उनका राशन कार्ड बना है, तब से उन्हें सिर्फ एक बार राशन दिया गया है एवं राशन डीलर के पास जाने से कहा जाता है कि उनका नाम नहीं है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक–WA/335/2023 दिनांक–17.05.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।

आयोग द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को पूरे मामले की जाँच करने एवं शिकायतकर्ता को जब से राशन नहीं दिया गया है, तब से सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही डीलर को सख्त चेतावनी देते हुए लाभुक को नियमित तौर पर राशन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx41